झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
संकल्प

विषय : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के साथ सहभागिता से कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा भारत सरकार की उक्त मार्गदर्शिका के आधार पर कार्यप्रणाली निर्धारित की जाती है। इस क्रम में निम्नलिखित संस्थागत ढाँचा (Institutional Setup) का निर्धारण किया जाता है, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करेगी।

(1) जिला एवं स्वच्छता मिशन "प्रकल्प" (District Water & Sanitation Mission) इसका स्वरूप इस प्रकार होगा :–

(i)	जिला परिषद् के अध्यक्ष	:	पदेन अध्यक्ष
(ii)	जिला उपायुक्त	:	पदेन कार्यकारी अध्यक्ष
(iii)	जिला परिषद् के उपाध्यक्ष	:	पदेन उपाध्यक्ष
(iv)	उप विकास आयुक्त	:	पदेन कार्यकारी उपाध्यक्ष
(v)	जिला से संबंधित सभी मा॰ सांसद एवं विधायक	:	सदस्य (जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्र है, उन्हें छोड़कर)
(vi)	सभी प्रखण्ड प्रमुख	:	पदेन सदस्य
(vii)	जिला शिक्षा अधीक्षक	:	पदेन सदस्य
(viii)	असैनिक शल्य चिकित्सक	:	पदेन सदस्य
(ix)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य
(x)	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य
(xi)	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई	:	पदेन सदस्य
(xii)	जिला कृषि पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य
(xiii)	जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य

(xiv) उपायुक्त द्वारा मनोनीत उपयुक्त स्वयंसेवी संस्था की महिला प्रतिनिधि के रूप में दो सदस्य, जिस जिला में महिला सामाख्या कार्यरत् है, महिला सामख्या की एक प्रतिनिधि।

(xv) कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग : पदेन सदस्य सचिव होगें। जिस जिला में दो कार्यपालक अभियंता है वे क्रमशः सदस्य सचिव–1 एवं सदस्य सचिव–2 के रूप में होंगे।

(2) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन "प्रकल्प" का स्वरूप एक प्रशासी परिषद् (Governing council) का होगा। इसके निम्न कार्य होंगे :–

(i) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक साल मे कम–से–कम चार बार होना है।

(ii) बैठक में किसी विषय पर मतभेद होने पर वोटिंग के आधार पर निर्णय होगा।

(iii) वोटिंग का अधिकार सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधि को होगा।

(iv) वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करना तथा इसके अनुरूप योजना का कार्यान्वयन कराना। तथा इसके अनुरूप योजना का कार्यान्वयन कराना।

(v) योजनाओं का अनुश्रवण करना।

(vi) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अभिलेखों तथा पंजी आदि की समुचित अभिरक्षा सदस्य सचिव सुनिश्चित करेंगे।

(vii) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के बैठक की कार्यवाही प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(3) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन "प्रकल्प" के अन्तर्गत एक जिला जल एवं स्वच्छता समिति होगी जिसका स्वरूप जिला जल एवं स्वच्छता मिशन "प्रकल्प" के कार्यकारी समिति (Executive Committee) के रूप में होगी।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति का गठन इस प्रकार होगा

(i)	जिला उपायुक्त	:	पदेन अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त	:	पदेन उपाध्यक्ष
(iii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य
(iv)	जिला शिक्षा अधीक्षक	:	पदेन सदस्य
(v)	जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी (असैनिक शल्य चिकित्सक)	:	पदेन सदस्य
(vi)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य
(vii)	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य

(viii)	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग	:	पदेन सदस्य
(ix)	जिला कृषि पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य
(x)	जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी	:	पदेन सदस्य
(xi)	उपायुक्त द्वारा मनोनीत दो स्वयंसेवी संस्थाओं की महिला प्रतिनिधि	:	सदस्य (जिस जिला में महिला सामाख्या कार्यरत है, महिला सामाख्या की एक प्रतिनिधि)
(xii)	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	:	पदेन सदस्य सचिव होंगे।

जिस जिला में दो कार्यपालक अभियंता हैं वे क्रमशः सदस्य सचिव–1 एवं सदस्य सचिव–2 के रूप मे होंगे।

(4) जिला जल एवं स्वच्छता समिति का कृत्य इस प्रकार होगा :–

(i) जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी।

(ii) जिला जल एवं स्वच्छता समिति के खाता का संचालन संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव 10.00 (दस लाख) की योजना का स्वयं चेक काटने के लिए अधीकृत होंगे। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का कहीं से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 10 लाख से उपर 25.00 (पच्चीस लाख) तक की योजना का चेक कार्यपालक अभियंता संबंधित अधीक्षण अभियंता से अनुमोदनोपरांत मात्र स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत करेंगे। 25.00 (पच्चीस लाख) से उपर योजना का चेक संबंधित उपायुक्त एवं कार्यपालक अभियंता के सयुक्त हस्ताक्षर से निस्तार किया जा सकेगा।

(iii) पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों एवं संस्थाओं के साथ आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करना।

(iv) समुदाय प्रबंधित योजना (Community Managed Scheme) तथा माँग आधारित नीति (Demand Driven Policy) को लागू करना।

(v) इस बात को सुनिश्चित करना कि योजनाओं के संचालन में समाज के सभी वर्ग, विशेषकर कमजोर वर्ग की भागीदारी है एवं इन सभी वर्गो को योजना का लाभ मिल रहा है।

(vi) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(vii) पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता पूर्ण पेयजल की व्यवस्था करना।

(viii) विद्यालयों, आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य सार्वजनिक व लोकहित की संस्थाओं मे सुदृढ़ जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रणाली सुनिश्चित करना।

(ix) ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अवशिष्टों का समुचित एवं सुरक्षित निपटारा का उपाय करना।

(x) खुले में शौच की कुप्रथा का सम्पूर्ण उन्मूलन एवं निर्मल झारखण्ड के लिए सम्यक प्रयास करना।

(xi) भू–जल स्तर की स्थिति पर नजर रखना तथा वर्षा जल के भंडारण, भू–जल संभरण एवं उपयोग हेतु आवश्यक उपाय करना।

(xii) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु गैर सरकारी संगठन (NGO) की पहचान करना एवं इनकी सेवा के बदले किये जाने वाले भुगतान की दर इत्यादि का निर्धारण।

(xiii) पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं में उचित समन्वय का उपाय करना।

(xiv) जलापूर्ति एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी योजनाओं का सूत्रण, प्रबंधन एवं अनुश्रवण करना।

(xv) Community based organization (CBO) एवं Non government organization (NGO) का चयन एवं उनके साथ एकरारनामा करना।

(xvi) स्थानीय जनता, जन प्रतिनिधि एवं कार्य से जुड़े सरकारी विभाग के पदाधिकारियों को संवेदित करना एवं समन्वय बनाना।

(xvii) **SWSM**, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित कर कार्यों का क्रियान्वयन।

(xviii) लेखा अंकेक्षण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना।

ह०/–

(सुधीर प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: पंचायती राज संस्था स्थो प्रयोग-24/12-1194/2012 दिनांक 01-10-12

प्रतिलिपि– सभी उपायुक्त, /सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता प्रकल्प/सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/अभियंता प्रमुख पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य मंत्री (विभागीय) के आप्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

01/10/12

(नवीन परमार)

मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक